राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 441/2011/अलवर
वाणिज्यिक कर अधिकारी
वृत–ए,भिवाडी, अलवर — अपीलीर्थी

बनाम

मैसर्स आलोक इण्डस्ट्रीज
भिवाडी,अलवर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री आर.के. अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री विवेक सिंघल
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 20.09.2016

निर्णय

अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–ए,भिवाडी (जिसे आगे ''कर निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा यह अपील उपायुक्त(अपील्स)अलवर–।।, वाणिज्यिक कर विभाग,भिवाडी (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 102/2009–09/आरएसटी/उपा/अपील्स/अल–।।/भिवाडी में पारित आदेश दिनांक 19.03.2010 के विरूद्ध पेश की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 82 एवं 100 सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994 (जिसे आगे कर अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 29 के अन्तर्गत पारित करते हुए आलोच्य अवधि 2005–06 में राज्य में कच्चे माल की खरीद पर चुयकाये गये क्रय कर रू. 51,555/– के सेट आफ को अस्वीकार किया है, अपील स्वीकार कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में का कर निर्धारण आदेश दिनांक 11.03.2008 पारित किया गया है,जिसमें राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.4(30)एफडी/टैक्स/डिवी./2002–145 एवं 146 दिनांक 22.03.2002 की शर्त संख्या 4 के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी को उसके द्वारा राज्य में कच्चे माल की खरीद पर चुकाये गये क्रय कर रू. 87,770/– में से आलोच्य अवधि में क्लेम किये गये सेट आफ रू. 51,555/– को अस्वीकार किया गया है, जिसके विरूद्ध सेट आफ के बिन्दु अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपील स्वीकार कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है, जिससे क्षुब्ध होकर कर निर्धारण अधिकरी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 19.03.2010 प्रकरण के तथ्यों व विधिक प्रावधानों के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि हस्तगत अपील में व्यवहारी द्वारा राज्य में विनिर्माण हेतु कच्चे माल की खरीद पर चुकाये गये कर रू. 87,770/– में से आलोच्य अवधि में 51,555/–का सैट आफ का क्लेम किया गया है, जो अनुचित होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया है, जो पूर्णतः विधिक है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर ध्यान दिये बिना ही यह मानकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है कि व्यवहारी को सेट आफ अस्वीकार करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जो अनुचित है। उनका कथन है कि व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करनेके पश्चात ही कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा क्लेम किये गये सेट आफ को अस्वीकार किया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के आदेश को उचित बताते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(30)एफडी/टैक्स/डिवी./2002–145 एवं 146 दिनांक 22.03.2002 की शर्त संख्या 4 के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी को उसके द्वारा राज्य में कच्चे माल की खरीद पर चुकाये गये क्रय कर रू. 87,770/– में से आलोच्य अवधि में क्लेम किये गये सेट आफ रू. 51,555/– को अस्वीकार किया गया है, जो अनुचित है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने सेटआफ अस्वीकार करने से पूर्व व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(30) एफडी/टैक्स/डिवी./2002–145 एवं 146 दिनांक 22.03.2002 की शर्त संख्या 4 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा इसका समयोजन उसे आलोच्य अवधि में एवं आगामी वर्षो में नियमानुसार दिये जाने के निर्देश देते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है,जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा क्लेम किये गये सेटआफ को अस्वीकार करने से पूर्व सुनवाई का समुचित प्रदान नहीं किया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के

विरूद्ध है। अपीलीय अधिकारी ने राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(30) एफडी/ टैक्स/डिवी./2002–145 एवं 146 दिनांक 22.03.2002 की शर्त संख्या 4 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा इसका समयोजन उसे आलोच्य अवधि में एवं आगामी वर्षो में नियमानुसार दिये जाने के निर्देश देते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है,जो पूर्णतः उचित है।

बहस के दौरान ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये है, जिससे अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2010 में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य इस पीठ के समक्ष नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित किये गये आदेश को उचित मानते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य